न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 54/2015 दायरा दिनांक :–01.05.2015 निर्णय दिनांक :– 05.04.2021

1. बलवान सिंह उर्फ बलवन्त सिंह पुत्र छाजुराम जाति जाट निवासी बृसंगवास तहसील मुण्डावर अलवर राजस्थान।

.........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0

.........प्रतिवादी

2. रतनसिंह पुत्र छाजुराम
3. बोदिया उर्फ शुभराम पुत्र मूसाराम
4. जीतराम पुत्र रिछपाल
5. रोहताश
6. रामावतार
7. कंवरसिंह पुत्रान भवानी
8. अजीत पुत्र सत्यवीर पौत्र भवानी
9. सन्तोष पत्नी सत्यवीर
10. नरेश
11. दिनेश पुत्रान हेतराम पौत्र सुखराम उर्फ सावलिया
12. गब्दूराम
13. होशियार
14. जगदीश पुत्रान सुखराम उर्फ सावलिया जातियान जाटान निवासीयान बृसंगवास तहसील मुण्डावर अलवर राजस्थान।

.....तर0 प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1. श्री महेश यादव – वकील वादी।

–:निर्णय:–

दिनांक :– 05.04.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 20/[illegible]/0.58, 24/0.71, 18/0.79, 22/0.58, 23/0.71 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम न[illegible] रा[illegible] तहसील मुण्डावर अलवर में स्थित होकर विवादित आराजी कहला[illegible] तथा हाल आरा[illegible] ख0नं0 44 रकबा 2 बीघा, 45 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 46 रकबा 3 [illegible] 48 रकबा [illegible], 39 रकबा 2 बीघा, 40 रकबा 2 बीघा, 41 रकबा 1 बीघा, [illegible] रकबा 1 बीघा, 48 रकबा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

2 बिस्वा, 50 1 बीघा 2 बिस्वा, 51 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 52 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 53 रकबा 1 बीघा, 54 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 55 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 56 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 58 रकबा 17 बिस्वा, 59 रकबा 19 बिस्वा, 60 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 61 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 62 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, 63 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 64 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 65 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 66 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 67 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 68 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 69 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 87 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 88 रकबा 3 बिस्वा, 266 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 268 रकबा 5 बिस्वा, 269 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्राम बृसगवास तहसील मुण्डावर में स्थित रही है। जिस आराजी में मिनवादी व तर0प्रति0सं0 2 का 1/38 भाग व तर0प्रति0सं0 3 का 1/38 भाग, प्रतिवादी सं0 4 के पिता रिछपाल का 1/19 भाग व तर0प्रति0सं0 5 लगायत 9 के पिता/दादा भवानी का 1/38 भाग व तर0प्रति0सं0 10 लगायत 14 के पिता/दादा सावलिया उर्फ सुखलिया का 1/76 भाग यानि कुल 11/76 भाग कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है व मिनवादी व तर0प्रति0सं0 2 के पिता छाजुराम एवं तर0प्रति0सं0 4 के पिता रिछपाल व तर0प्रति0सं0 3 बोदिंया व तर0प्रति0सं0 5 लगायत 9 के पिता/दादा भवानी व तर0प्रति0सं0 10 लगायत 14 के पिता/दादा सावलिया उर्फ सुखलिया ने वाके ग्राम बृसंगवास तहसील मुण्डावर में स्थित अपने कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी का विनिमय पत्र दिनांक 16.11.1994 के द्वारा वाके ग्राम नांगलरानिया तहसील मुण्डावर में स्थित विवादित आराजी से कर लिया तथा उक्त विनिमय पत्र के आधार पर विवादित आराजी में हम पक्षकारान के नाम का इन्तकाल संख्या 126 दर्ज व मंजूर हो गया तथा हमारे द्वारा अपनी आराजी के विनिमय पत्र से तबादला करने के बाद विनिमय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम का अंकन हो गया लेकिन सहवन से विनिमय पत्र लिखवाते समय अलग–अलग हिस्से दर्ज नहीं कर कुल रकबा हिस्सा 11/76 दर्ज कर दिया जो अंकन गलत है तथा उक्त गलत अंकन के आधार पर विनिमय पत्र का इन्तकाल दर्ज हुआ और इन्तकाल के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में भी हम पक्षकारान का संभाग में खिलाफ मौका व खिलाफ कानून अंकन कर दिया जबकि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मिनवादी व तर0प्रति0सं0 2 का 1/38 भाग व तर0प्रति0सं0 3 का 1/38 भाग, प्रतिवादी सं0 4 के पिता रिछपाल का 1/19 भाग व तर0प्रति0सं0 5 लगायत 9 के पिता/दादा भवानी का 1/38 भाग व तर0प्रति0सं0 10 लगायत 14 के पिता/दादा सावलिया उर्फ सुखलिया का 1/76 भाग का अंकन करना चाहिये था और इसी प्रकार हम पक्षकारान मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है इसलिए मिनवादी उक्त गलत अंकन को हजफ कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने–अपने हिस्से अनुसार हिस्सा दर्ज करवाने का अधिकारी है आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादी व तर0 प्रतिवादीगण बर खिलाफ प्रतिवादी असल डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी तर0 प्रति0 2 लगायत 14 के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई एवं असल प्रतिवादी को वास्ते जवाब बार–बार अवसर दिये जाने उपरांत जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनके जवाब दावा पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2069–72 किता 2 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2050–52 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2053–57 प्रदर्श–3, नकल इंतकाल संख्या 126 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2050–53 किता 3 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी संवत 2054–57 किता 3 प्रदर्श–6, नकल इंतकाल संख्या संवत 2084 किता 2 प्रदर्श–7 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप ... पत्र बलवान सिंह उर्फ बलवंत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

सिंह पी डब्ल्यू–1, बोदिया उर्फ शुभराम पी डब्ल्यू–2, जीतराम पी डब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रदर्श–1 लगायत 7 एवं शपथ पत्र वादी बलवान, तरतीवी प्रतिवादी बोदिया एवं जीतराम द्वारा प्रस्तुत गवाहान के बाबत वादी द्वारा सुसंगत दस्तावेजात से अपने वादपत्र को पूर्णरूपेण साबित कर दिये जाने की स्थिति में एवं वाके ग्राम बृसंगवास तहसील मुण्डावर में स्थित रही आराजी में हम पक्षकारान का हिस्सा आराजी अनुसार मिनवादी व तर0प्रति0सं0 2 का 1/38 भाग व तर0प्रति0सं0 3 का 1/38 भाग, प्रतिवादी सं0 4 के पिता रिछपाल का 1/19 भाग व तर0प्रति0सं0 5 लगायत 9 के पिता/दादा भवानी का 1/38 भाग व तर0प्रति0सं0 10 लगायत 14 के पिता/दादा सावलिया उर्फ सुखलिया का 1/76 भाग विवादित आराजी के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से का अंकन किये जाने एवं हाल में दर्ज अंकन किये गये हिस्से को कलमजन किया जाकर वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के आधार पर साबित कर दिये जाने की स्थिति में वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी के हाल आराजी ख0न0 20/0.24, 21/0.58, 24/0.71, 18/0.79, 22/0.58, 23/0.71 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम नांगल रानिया तहसील मुण्डावर, अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड पर से वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 14 के बाबत हो रहे अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादी व तर0प्रति0सं0 2 का 1/38 भाग व तर0प्रति0सं0 3 का 1/38 भाग, प्रतिवादी सं0 4 के पिता रिछपाल का 1/19 भाग व तर0प्रति0सं0 5 लगायत 9 के पिता/दादा भवानी का 1/38 भाग व तर0प्रति0सं0 10 लगायत 14 के पिता/दादा सावलिया उर्फ सुखलिया का 1/76 भाग का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

5/4/21
(रामसिंह रजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

यह निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

5/4/21
(रामसिंह रजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:33:23 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 54/2015 दायरा दिनांक :–01.05.2015 निर्णय दिनांक :– 05.04.2021

1. **बलवान सिंह उर्फ बलवन्त सिंह पुत्र छाजुराम जाति जाट निवासी बृसंगवास तहसील मुण्डावर अलवर राजस्थान।**

..

........वादी

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0**

..........प्रतिवादी

2. **रतनसिंह पुत्र छाजुराम**
3. **बोदिया उर्फ शुभराम पुत्र मूसाराम**
4. **जीतराम पुत्र रिछपाल**
5. **रोहताश**
6. **रामावतार**
7. **कंवरसिंह पुत्रान भवानी**
8. **अजीत पुत्र सत्यवीर पौत्र भवानी**
9. **सन्तोष पत्नी सत्यवीर**
10. **नरेश**
11. **दिनेश पुत्रान हेतराम पौत्र सुखराम उर्फ सावलिया**
12. **गब्दूराम**
13. **होशियार**
14. **जगदीश पुत्रान सुखराम उर्फ सावलिया जातियान ज़ाटान निवासीयान बृसंगवास तहसील मुण्डावर अलवर राजस्थान।**

.....तर0 प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री महेश यादव एड्वोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 12.04.2021** को **श्री रामसिह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:–**

वादी द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के आधार पर साबित कर दिये जाने की स्थिति में वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी के हाल आराजी ख0न0 20/0.24, 21/0.58, 24/0.71, 18/0.79, 22/0.58, 23/0.71 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम नांगल रानिया तहसील मुण्डावर, अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड पर से वा[illegible] प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 14 के बाबत हो रहे अंकन को कल[illegible] किये जा[illegible] दिये जाते है एवं उपरोक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादी [illegible]ति0सं0 2 का [illegible] भाग व तर0प्रति0सं0 3 का 1/38 भाग, प्रतिवादी सं0 4 के पिता रिछपाल का 1/19 [illegible] तर0प्रति0सं0 5 लगायत 9 के पिता/दादा भवानी का 1/38 भाग व तर0प्रति0सं0 10 ल[illegible]त 14 के पिता/दादा सावलिया उर्फ सुखलिया का 1/76 भाग का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner